



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223639
CG-DL-E-10122020-223639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3939]
No. 3939]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4480(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2849 तारीख 18 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र सं० 51 तारीख 17 दिसम्बर-23 दिसम्बर 2017 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना” हेतु जिला जमुई में कच्चा तेल के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 26, सितंबर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला – बेगूसराय			राज्य- बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मटीहानी	रामदीरी- 423	79	00	02	04
		1394	00	03	12
		1391	00	03	49
		577	00	05	25
		573	00	08	61
		616	00	00	36
		611	00	01	05
		608	00	02	94
		445	00	02	40
		21	00	00	87
		441	00	05	68
		473	00	01	30
		481	00	03	02
		598	00	02	63
		576	00	03	16
		605	00	04	28
		500	00	08	71

मटीहानी	रामदीरी- 423	486	00	01	93
		597	00	02	11
		617	00	00	88
		1308	00	01	97
		1309	00	06	93
		502	00	00	77
		504	00	01	76
		1312	00	09	67
		1389	00	04	92
		1390	00	04	37
		1388	00	03	57
		1307	00	01	93
		1306	00	07	94
		440	00	00	47
		34	00	01	55
		09	00	07	19
		66	00	01	91
		32	00	06	08
		447	00	01	64
		446	00	03	87
		29	00	00	72
		77	00	06	75
		76	00	01	10
		480	00	02	48
		606	00	02	79
		479	00	04	50
		568	00	03	30
		503	00	02	34
		589	00	02	94
		35	00	00	63
		24	00	04	94
		25	00	04	06
		26	00	03	51
		27	00	02	38

मटीहानी	रामदीरी- 423	67	00	08	11
		22	00	00	96
		618	00	01	30
		619	00	00	95
		610	00	01	61
		609	00	01	79
		602	00	04	53
		601	00	03	48
		590	00	02	40
		574	00	01	00
		567	00	00	55
		538	00	02	28
		489	00	10	06
		488	00	02	04
		485	00	01	83
		484	00	03	73
		483	00	03	68
		496	00	00	52
		1392	00	01	65
		1305	00	00	06
		437	00	01	03
		13	00	00	84
		10	00	02	24
		28	00	01	75
		30	00	01	75
		33	00	01	65
		65	00	02	05
		74	00	00	20
		80	00	02	50
		444	00	03	04
मटीहानी	रामदीरी- 420	13	00	01	26
		10	00	04	03
		9	00	02	04
		8	00	00	22

		7	00	01	47
		6	00	06	09
		2	00	06	21
		5	00	00	82
		4	00	00	20

[फा.सं. आर-11025(11)1/2019-ओआर-I/ई-28108]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4480(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2849 Dated 18 December, 2017, published in the Gazette of the India No. 51 dated December 17- December 23, 2017 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Haldia-Barauni Pipeline Systems Project” for the transportation of Crude Oil in Jamui District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26 September 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Matihani	Ramdiri - 423	79	00	02	04
		1394	00	03	12

Matihani	Ramdiri - 423	1391	00	03	49
		577	00	05	25
		573	00	08	61
		616	00	00	36
		611	00	01	05
		608	00	02	94
		445	00	02	40
		21	00	00	87
		441	00	05	68
		473	00	01	30
		481	00	03	02
		598	00	02	63
		576	00	03	16
		605	00	04	28
		500	00	08	71
		486	00	01	93
		597	00	02	11
		617	00	00	88
		1308	00	01	97
		1309	00	06	93
		502	00	00	77
		504	00	01	76
		1312	00	09	67
		1389	00	04	92
		1390	00	04	37
		1388	00	03	57
		1307	00	01	93
		1306	00	07	94
		440	00	00	47
		34	00	01	55
		09	00	07	19
		66	00	01	91
		32	00	06	08
		447	00	01	64
		446	00	03	87
		29	00	00	72

Matihani	Ramdiri - 423	77	00	06	75
		76	00	01	10
		480	00	02	48
		606	00	02	79
		479	00	04	50
		568	00	03	30
		503	00	02	34
		589	00	02	94
		35	00	00	63
		24	00	04	94
		25	00	04	06
		26	00	03	51
		27	00	02	38
		67	00	08	11
		22	00	00	96
		618	00	01	30
		619	00	00	95
		610	00	01	61
		609	00	01	79
		602	00	04	53
		601	00	03	48
		590	00	02	40
		574	00	01	00
		567	00	00	55
		538	00	02	28
		489	00	10	06
		488	00	02	04
		485	00	01	83
		484	00	03	73
		483	00	03	68
		496	00	00	52
		1392	00	01	65
		1305	00	00	06
		437	00	01	03
		13	00	00	84
		10	00	02	24

		28	00	01	75
		30	00	01	75
		33	00	01	65
		65	00	02	05
		74	00	00	20
		80	00	02	50
		444	00	03	04
Matihani	Ramdiri - 420	13	00	01	26
		10	00	04	03
		9	00	02	04
		8	00	00	22
		7	00	01	47
		6	00	06	09
		2	00	06	21
		5	00	00	82
		4	00	00	20

[F. No. R-11025(11)1/2019-OR-I/E-28108]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.